आई. सी. 27 -स्वास्थ्य बीमा

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 198

1. **शिकायतकर्ता नीचे दिए गए अन्य न्यायिक चैनलों से भी संपर्क कर सकता है**

a) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिसे "जिला आयोग (डिस्ट्रिक्ट कमीशन)" के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में की गयी है जो ऐसी शिकायतों पर विचार कर सकता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 1 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है।

b) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिसे "राज्य आयोग (स्टेट कमीशन)" के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा राज्य में की गयी है जो इन बातों पर विचार कर सकता है:

i. ऐसी शिकायतें जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 1 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम है; और

ii. राज्य के भीतर किसी भी जिला आयोग के आदेशों के खिलाफ़ की गयी अपील।

c) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिसकी स्थापना केन्द्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा की गयी है जिसे "राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमीशन)" के रूप में जाना जाता है। यह निम्न मामलों पर विचार कर सकता है:

i. ऐसी शिकायतें जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 10 करोड़ रुपये से अधिक है; और

ii. किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ़ की गयी अपील।

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 199

चित्र 3 **: न्यायिक चैनल**

विचार करता हैं:	विचार करता हैं:	विचार करता हैं:
✓ ऐसी शिकायतें पर जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 10 करोड़ रुपये से अधिक है, और ✓ किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ की गयी अपील।	✓ ऐसी शिकायतें पर जहाँ वस्तुओं /सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 1 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम है; और ✓ राज्य के भीतर किसी भी जिला आयोग के आदेशों के खिलाफ की गयी अपील।	✓ ऐसी शिकायतें पर जहाँ वस्तुओं /सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 1 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है,

संशोधित पाठ के रूप में
पाठ 14 पृष्ठ क्र.198.

1. **शिकायतकर्ता नीचे दिए गए अन्य न्यायिक चैनलों से भी संपर्क कर सकता है**

d) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिसे "जिला आयोग (डिस्ट्रिक्ट कमीशन)" के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में की गयी है जो ऐसी शिकायतों पर विचार कर सकता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 50 लाख रुपये से अधिक का नहीं है।

e) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिसे "राज्य आयोग (स्टेट कमीशन)" के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा राज्य में की गयी है जो इन बातों पर विचार कर सकता है:

iii. ऐसी शिकायतें जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 50 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम है; और

iv. राज्य के भीतर किसी भी जिला आयोग के आदेशों के खिलाफ़ की गयी अपील।

f) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिसकी स्थापना केन्द्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा की गयी है जिसे "राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमीशन)" के रूप में जाना जाता है। यह निम्न मामलों पर विचार कर सकता है:

i. ऐसी शिकायतें जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 2 करोड़ रुपये से अधिक है; और

ii. किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ़ की गयी अपील।

संशोधित पाठ के रूप में
पाठ 14 पृष्ठ क्र.199.

चित्र 3 **: न्यायिक चैनल**

विचार करता हैं:

- ✓ऐसी शिकायतें पर जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 2 करोड़ रुपये से अधिक है, और
- ✓किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ की गयी अपील।

विचार करता हैं:

- ✓ऐसी शिकायतें पर जहाँ वस्तुओं /सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 50 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम है; और
- ✓राज्य के भीतर किसी भी जिला आयोग के आदेशों के खिलाफ की गयी अपील।

विचार करता हैं:

- ✓ऐसी शिकायतें पर जहाँ वस्तुओं /सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, 50 लाख रुपये से अधिक का नहीं है,